

मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित मेगा प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन/अनुदान हेतु आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही :

क- उपस्थिति :-

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।
2. अपर मुख्य सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. प्रधान सचिव-सह-वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. प्रधान सचिव, श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं राजस्व), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, धुर्वा, राँची।
9. अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धुर्वा, राँची।
10. निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

ख-

-: कार्यवाही :-

1. गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में उद्योग निदेशक द्वारा समिति के समक्ष स्थिति स्पष्ट की गई ।
2. Capital Subsidy against sales tax of Mega units के सम्बन्ध में समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

AGENDA NO.01 - VAT refund under Industrial Policy 2001

1. सर्वश्री अतिवीर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लि0,यूनिट-II, गिरिडीह :- प्रधान सचिव, वाणिज्यकर महोदय के द्वारा इकाई के बकाया रू0 20.00 करोड़ के संबंध में बताया गया कि यह राशि वर्तमान समय तक जमा नहीं किया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव, उद्योग बैठक की कार्यवाही में भी इकाई से शपथ पत्र प्राप्त कर एवं बकाया राशि रू0 20.00 करोड़ जमा करने हेतु इकाई से undertaking देने का निदेश दिया गया, तदंतर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इकाई द्वारा तीन option दिया गया था, जो निम्नवत है, जिसे समिति के समक्ष किसी एक पर विचार हेतु बताया गया:

1. To keep the disputed amount in abeyance having TIN No. 20732305380 till the case is finally settled.
2. Submission of undertaking to make payment of disputed amount if the case is disallowed by the Appellate Court.
3. The disputed amount may be deducted from subsidy amount and may be paid to Commercial Tax Department on behalf of the Company under protest.

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में इकाई के वैट की गणना निम्नवत है :-

S. No	Name of the Unit	Product Investment / years of tax refund	Tax certificate	Tax on Trading sales	Incremental Tax	75% Refund Due	Less Prior Pd. Adjust	Net Payable	Status of sanction		(Rupees in Lakh)
											स्कीनिंग समिति का निर्णय
1	M/s Atibir Industries Co.Ltd, Unit-II,Giridih DOP-25.05.10 Cat (area)-B New unit	Iron & Steel Rs.10812.67 C-Rs.700.00 VAT-8 years Ceiling limit Rs.8109.00 2013-14 & 2014-15	2483.43 (13-14)	689.86	1793.57	1345.18	-411.95	933.23	10-11	244.00	वाणिज्यकर विभाग द्वारा बताया गया कि इकाई एवं इनसे संबंधित कम्पनियों के पास 20.00 करोड़ का वाणिज्यकर बकाया है।
									11-12	394.99	
									12-13	719.94	
									Tot	1358.93	
									CAP	700.00	
G.Tot	2058.93	00 करोड़ का वाणिज्यकर बकाया है।									
<p>Note: The Principal Secretary cum Commissioner of Commercial Taxes, Jharkhand has observed and advised to amend in proceeding in file no. 09/U-NI/Anudan(Mega Pro.)-01/2006 at the page 102-103/N on dated 23.05.2016 that Total VAT dues against M/s Atibir Industries Ltd., Unit-II, TIN No.20732305380 and its Sister concerns is Rs.12,97,97,092.97.00 out of which Rs.80361772.47 has been stayed under various Appeal leaving a balance of un-stayed amount of Rs.49435320.50 which is required to be paid by the Company. Hence this amendment.</p>											

